प्रेषक,

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः उ0वि0शि0प0 / सि0सेल / 344-3123 / 2013–14, दिनांकः 15 जुलाई, 2013

विषयः– **परिषदीय परीक्षा वर्ष 2014 से (हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट) परीक्षा शुल्क पुनरीक्षित किए जाने विषयक।**

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 217/XXIV-5/2013/2(17)/2008 दिनांक 12 जुलाई, 2013 के द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा के संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क इत्यादि की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की गयी हैं, जो कि वर्ष 2014 की परिषदीय परीक्षाओं से लागू होंगी।

क्र0 स0	शुल्क विवरण (प्रति परीक्षार्थी)	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क	रु0 200.00	रु0 600.00	रु0 350.00	रु0 700.00
2	अंक पत्र शुल्क	रु0 10.00	रु0 10.00	रु0 10.00	रु0 10.00
3	अग्रसारण शुल्क	—	रु0 10.00	—	रु0 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क	—	रु0 150.00	—	रु0 150.00
5	प्रव्रजन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र शुल्क	—	—	रु0 50.00	रु0 50.00
6	विलम्ब शुल्क	—	रु0 150.00	—	रु0 150.00

इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग भाग–1 एवं भाग–2 के लिए भी परीक्षा शुल्क की दरें उक्तवत् होंगी।

(1) अंक पत्र शुल्क रुपया 10.00 (रुपया दस) प्रति परीक्षार्थी है। अंक पत्र शुल्क में से रुपया 5.00 (रुपया पांच) प्रति परीक्षार्थी प्रधानाचार्य अपने स्तर पर रोकेंगे, जिस का उपयोग नामावली तथा संख्या सूचक चक्र बनाने एवं प्राप्तांक प्राप्त प्रदान कराने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन सामग्री आदि मदों में व्यय किया जायेगा। शेष रुपया 5.00 (रुपया पांच) प्रति परीक्षार्थी की दर से धनराशि राजकोष में जमा करेंगे।

(2) संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए प्रव्रजन(माईग्रेशन) प्रमाण पत्र शुल्क दर रुपया 20.00 पुनरीक्षित कर रुपया 50.00 की गयी है।

(3) **इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2014 के प्रत्येक परीक्षार्थी (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) से रुपया 50.00 प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क भी लिया जायेगा। परीक्षाओं के शुल्क के साथ ही प्रव्रजन(माईग्रेशन) प्रमाण पत्र शुल्क राजकोष में जमा किया जायेगा।**

(4) हाईस्कूल परीक्षार्थियों को पूर्व की भाँति माँग किए जाने पर प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत किए जायेंगे। हाईस्कूल परीक्षार्थी से परीक्षाओं के शुल्क के साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क नहीं लिया जायेगा।

15/7/13

(5) हाईस्कूल एव इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का पुनरीक्षित अग्रसारण शुल्क रुपया 10.00 पूर्व की भाँति राजकोष में जमा किया जायेगा।

निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रति परीक्षार्थी जमा किए जाने वाले शुल्क का विवरण–

कोषागार में जमा शुल्क							विद्यालय स्तर पर रोकने हेतु शुल्क
क्र0 स0	**हाईस्कूल**	**परीक्षा शुल्क**	**अंक पत्र शुल्क**	**अग्रसारण शुल्क**	**प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क**	**योग**	**अंक पत्र शुल्क**
1	संस्थागत	रु0 200.00	रु0 5.00	—	—	रु0 205.00	रु0 5.00
2	व्यक्तिगत	रु0 600.00	रु0 5.00	रु0 10.00	—	रु0 615.00	रु0 5.00
3	एकल विषय	रु0 150.00	रु0 5.00	रु0 10.00	—	रु0 165.00	रु0 5.00
क्र0 स0	**इण्टमीडिएट**	**परीक्षा शुल्क**	**अंक पत्र शुल्क**	**अग्रसारण शुल्क**	**प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क**	**योग**	**अंक पत्र शुल्क**
1	संस्थागत	रु0 350.00	रु0 5.00	—	रु0 50.00	रु0 405.00	रु0 5.00
2	व्यक्तिगत	रु0 700.00	रु0 5.00	रु0 10.00	रु0 50.00	रु0 765.00	रु0 5.00
3	एकल विषय	रु0 150.00	रु0 5.00	रु0 10.00	—	रु0 165.00	रु0 5.00
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क समय सारिणी के अनुसार ही प्रवर्त होंगे।							

अस्तु आपसे अपेक्षा है कि शासन द्वारा पुनरीक्षित शुल्क दरों से अपने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों/अग्रसारण अधिकारियों को समय से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रधानाचार्यो/अग्रसारण अधिकारियों द्वारा संशोधित दरों के अनुरूप परीक्षाओं का शुल्क यथा समय राजकोष में जमा किया जा सके।

नोट– **प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या एवं अग्रसारण केन्द्र के अग्रसारण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश–2014 के पृष्ठ संख्या 2 एवं 3 में उक्तानुसार आवश्यक संशोधन समझा जाय।**

भवदीय

15/7/2013

(डॉ0 दया कृष्ण मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0स0: उ0वि0शि0प0/सि0सेल/344-3123/2013–14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय/अशासकीय सहायता।

15/7/2013

(डॉ0 दया कृष्ण मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।